न्यायालय– सिविल जज (सी०डि०), तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 13/2017
CIS No. :– TS 290/2018

लक्ष्मण यादव एवं अन्य बनाम **किशोरी यादव एवं अन्य**

दिनांक 20.02.2021

वादीगण की पैरवी है। प्रतिवादीगण अनुपस्थित है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 22.12.2020 को दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादीगण को कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद उनकी ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया, जिस कारण न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2021 द्वारा उन्हें प्रत्युत्तर दिए जाने से वंचित किया गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि से संबंधित मूल बैनामा दस्तावेज दिनांक 29.02.1988 बंती मिश्र बनाम बच्चा यादव दो किता व एक किता दिनांक 29.02.1988 बंती मिश्र बनाम रामबड़ाई यादव व किशोरी यादव व एक किता दिनांक 07.06.1985 रामचंद्र प्रसाद बनाम बच्चा यादव व एक किता दिनांक 10.01.1980 ध्रुवदेव प्रसाद बनाम बच्चा राउत व एक किता दिनांक 25.02.1989 मु0 सुनरमती कूँवर एवं अन्य बनाम बच्चा यादव कुल 6 किता दाखिल किया जा रहा है जो 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है तथा लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि वादीगण की ओर से कुल 6 दस्तावेज दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है। उपरोक्त दस्तावेज 30 वर्ष से ज्यादा पुराना है, जो लोक दसतावेज की श्रेणी में आता है। चूँकि प्रस्तुत आवेदन वादीगण की ओर से काफी विलंब से दाखिल किया गया है, फिर भी न्याय हित में इसे 700/–रू. हर्जे के साथ स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह इन दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित करें। अभिलेख वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25.03.2021 को प्रस्तुत करें।

अपर सिविल जज (सी0डि0) तृतीय
न्यायालय कक्ष–4, नरकटियागंज।